3–"मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना "

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा–19 के अन्तर्गत मण्डी समिति की निधि एवं उसका उपयोग की व्यवस्था तथा अधिनियम की धारा–26 एम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत की जाने वाली योजनाओं के प्राविधानान्तर्गत वर्तमान में मण्डी आवक किसान उपहार योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाये जाने के लिए नवीन मण्डी स्थलों में कृषि उपज का विक्रय करने की दशा में प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या–6 के आधार पर कृषकों को रू0 5,000.00 मूल्य पर ईनामी कूपन निर्गत कर मासिक, त्रैमासिक एवं छःमाही ड्रा द्वारा उपहार दिये जाने की व्यवस्था लागू है।

नवीन मण्डी स्थलों तक ही इस योजना को लागू किये जाने में यह देखा गया है कि जिन कृषकों द्वारा नवीन मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों अथवा सरकारी क्रय केन्द्रों पर कृषि उत्पाद विक्रय करते है। ऐसे बड़ी संख्या में कृषक योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं इसलिए अधिकाधिक कृषकों को योजनान्तर्गत जोड़े जाने के उद्देश्य से मण्डी आवक कृषक उपहार योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद बिक्री करने वाले कृषकों को सम्मिलित किया जाना औचित्यपूर्ण है। कृषकों को उपहार देने वाली योजना के अन्तर्गत मासिक ड्रा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए त्रैमासिक व छःमाही ड्रा की व्यवस्था को बनाये रखते हुए वर्तमान में प्रभावी योजना के स्थान पर **"मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना"** के प्राविधान निम्नवत् होगें:–

1–योजना का उद्देश्य

कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, नवीन मण्डी स्थलों अथवा मण्डी क्षेत्र/सरकारी क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज लाकर बेचने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करना तथा उनकी रूचि प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या–6 (विक्रेता बाउचर) प्राप्त करने की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

2–योजना हेतु पात्रता

(1) प्रदेश के ऐसे समस्त कृषक–उत्पादक जो अपनी स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हुए स्वयं द्वारा उत्पादित कृषि उपज को नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में बेचते हैं।

(2) ऐसे उत्पादक विक्रेता जो वैधानिक रूप से जमीन विधिवत् पट्टे पर लेकर कृषि कार्य करते है तथा अपने उत्पाद को नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में लाकर बेचते है।

(3) योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश की किसी भी मण्डी क्षेत्र के स्थाई निवासी होगें, परन्तु प्रश्नगत योजना का लाभ किसानों को ही प्राप्त हो इस हेतु किसान बही/अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की अनिवार्यता होगी।

(4) योजना के तहत केवल उन्हीं कृषक–उत्पादकों को लाभ अनुमन्य होगा जिनके द्वारा एक ही त्रैमास में /पूरे वर्ष की प्रत्येक छःमाही अवधि में किसी एक मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र में कम से कम रू0 5000/– के मूल्य की निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की बिक्री की गयी हो।

3–योजना संचालन की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम कृषक उत्पादक द्वारा नवीन मण्डी स्थल अथवा मण्डी क्षेत्र/सरकारी क्रय केन्द्रों पर बेचे गये कृषि उत्पादों से सम्बन्धित प्रवेश पर्ची, प्रपत्र संख्या–6/भुगतान स्लिप की मूलप्रतियां सम्बन्धित मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत करके उपहार कूपन प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक रू0 5000/– के गुणांक पर एक कूपन देय होगा।

(2) सम्भाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर त्रैमास की अवधि में

चतुर्थ	सोलर पावर पैक सयंत्र	दस

(7) उपहार वितरण हेतु त्रैमास इस प्रकार होंगेः–

प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
अप्रैल से जून	जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से दिसम्बर	जनवरी से मार्च

(8) छःमाही बम्पर ड्रा प्रत्येक वर्ष के लिए दो बार निकाले जायेंगे। प्रथम छःमाही अवधि माह अप्रैल से सितम्बर तक एवं द्वितीय छःमाही अवधि माह अक्टूबर से मार्च तक होगी।

(9) प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर उसके अगले मास में उपहार हेतु ड्रा निकाला जायेगा। द्वितीय त्रैमास से सम्बन्धित ड्रा के साथ प्रथम छःमाही बम्पर ड्रा निकाला जायेगा। इसी प्रकार चतुर्थ त्रैमास से सम्बन्धित ड्रा के साथ द्वितीय छःमाही बम्पर ड्रा भी निकाला जायेगा।

(10) सम्भाग स्तर पर त्रैमासिक ड्रा के लिए कूपन प्राप्त करने वाले कृषकों की न्यूनतम संख्या निम्नवत् होगीः–

क्रसं0	मण्डी समिति की श्रेणी	त्रैमास में कूपन प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या
1	'क' विशिष्ट श्रेणी	50
2	'क' श्रेणी	
3	'ख' श्रेणी	25
4	'ग' श्रेणी	

(11) त्रैमासिक एवं छःमाही बम्पर ड्रा, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कर किसानों की सहभागिता व जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जायेगा।

(12) योजना के अन्तर्गत ड्रा के विजेता कृषकों को उपहार का वितरण कृषक के नाम व पता एवं पहचान की पुष्टि करके ही किया जायेगा। पहचान की पुष्टि करना सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति का दायित्व होगा।

(13) त्रैमासिक एवं छःमाही ड्रा के उपहारों का क्रय प्रभावी क्रयदारी नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(14) प्रत्येक त्रैमासिक ड्रा एवं छःमाही बम्पर ड्रा के विजेता कृषकों/ विक्रेताओं का पूर्ण विवरण पंजिका में स्थायी रूप से अनुरक्षित किया जायेगा।